स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं0 51/8/नोटा/2013–ई एम एस **दि0 : 30 अक्तूबर, 2013**

सेवा में,

सभी राज्यों व केंद्र शसित प्रदेशों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' के लिए प्रावधान–तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 के आयोग के पत्र के अधिक्रमण में, यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मत पत्र में **'उपर्युक्त में से कोई नहीं'** के चित्रण हेतु एक भिन्न शैली का प्रयोग करने का निश्चय किया है तथा उक्त चित्रण का आयोग द्वारा अनुमोदित डिजाइन आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न किया जा रहा है। अनुमोदित चित्रण एक गोल किनारों वाला आयताकार चित्रण है जिसकी पृष्ठभूमि काली है और उसमें अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में **'NOTA'** लिखा है। विधान सभा निर्वाचनों के मामले में चूंकि मत पत्र गुलाबी रंग का होता है तो **'NOTA'** शब्द को गुलाबी रंग में कैपिटल अक्षरों में लिखा जाएगा और संसदीय निर्वाचनों के मामले में जहां मत पत्र सफेद रंग का है **'NOTA'** शब्द को सफेद रंग में अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखा जाएगा।

यह चित्रण अंतिम पैनल में **"उपर्युक्त में से कोई नहीं"** शब्दों के बाद किया जाएगा अर्थात् **"उपर्युक्त में से कोई नहीं NOTA"** । **NOTA** का चित्रण सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक समान होगा चाहे उस निर्वाचन क्षेत्र के मत पत्र की भाषा कोई भी हो। परन्तु **'उपर्युक्त में से कोई नहीं'** शब्द उसी भाषा (ओं) में मुद्रित होंगे जिसमें मत पत्र मुद्रित हैं। जहां मत पत्र एक भाषा से अधिक भाषाओं में मुद्रित हैं वहां उपरोक्त शब्दों **"उपर्युक्त में से कोई नहीं"** शब्दों का अनुवादित रूप उन सभी भाषाओं में मुद्रित किया जाएगा परन्तु चित्रण **NOTA** का मुद्रण इस प्रकार किया जाएगा कि वह **"उपर्युक्त में से कोई नहीं"** के अन्य सभी भाषायी रूपों के सामने एक समान चित्रण के रूप में दिखाई दे।

भवदीय,

(दिलीप के.वर्मा)
अवर सचिव

NOTA